2776
04-02-19

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 31.01.2019 का कार्यवाही विवरण।

जल संसाधन विभाग की वित्तीय वर्ष 2018–19 की राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की तृतीय बैठक दिनांक 31.01.2019 को शासन सचिव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में इन्दिरा गॉधी नहर मण्डल, जयपुर के मीटिंग हॉल में आयोजित हुई। इस बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :–

1. श्री सी.एस. पवांर, उपमहालेखाकार कार्यालय प्रधान महालेखाकार राज. जयपुर।
2. श्री विमल कुमार गुप्ता, वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्री के.डी सांदू, मुख्य अभियन्ता SWRPD जयपुर।
4. श्री राजीव चौधरी मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग कोटा।
5. श्री के.एल. जाखड मुख्य अभियन्ता जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ।
6. श्री खीव राज परिहार मुख्य अभियन्ता नर्मदा नहर परियोजना सांचौर।
7. श्री भुवन भास्कर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग उदयपुर।
8. श्री रवि सोंलकी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग जयपुर।
9. श्री के.के सिघल अतिरिक्त निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर।
10. श्री दिनेश कुमार अधीक्षण अभियन्ता, नेशनल हाइड्रोलोजी परि. कार्यालय गुण नियंत्रण एवं सर्तकता जयपुर
11. श्री दिलीप जैन अधीक्षण अभियन्ता पी.एम.यू.जायका जयपुर।
12. श्री सीताराम मीणा मुख्य लेखाधिकारी वित (अंकेक्षण) विभाग राजस्थान जयपुर।
13. श्री टी.पी.मीना मुख्य लेखाधिकारी, जल संसाधन संभाग, कोटा।
14. श्रीमति सुनिता विजय मुख्य लेखाधिकारी, जल संसाधन संभाग,उदयपुर।
15. श्री सियाराम मीना मुख्य लेखाधिकारी, जल संसाधन संभाग, जयपुर ।
16. श्री संदीप सादू मुख्य लेखाधिकारी, जल संसाधन संभाग, जोधपुर।
17. श्री रमेश शर्मा मुख्य लेखाधिकारी, जल संसाधन संभाग, हनुमानगढ।
18. श्री आर.एस. कल्याण वरिष्ठ लेखाधिकारी, SWRPD जयपुर।
19. श्री सत्येन्द कोशिक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय प्रधान महालेखाकार राज. जयपुर।
20. श्री मनोज कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय प्रधान महालेखाकार राज. जयपुर।
21. श्री रवि प्रकाश तिवाडी सहायक लेखाधिकारी जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ।
22. श्री राम लाल विश्नोई सहायक लेखाधिकारी नर्मदा नहर परियोजना सांचौर।

बैठक के प्रारम्भ मे गत बैठक 27.09.2018 के कार्यवाही विवरण की कियान्विति पर विस्तार से चर्चा की जाकर बिन्दुवार निम्न निर्णय लिए गये।

(1) **महालेखाकार राजस्थान के निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना** :– वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि महोलखाकार कार्यलय के द्वारा 04 प्रथम अनुपालना बकाया बताई गयी थी , जिनकी प्रथम अनुपालना भिजवादी गई है। वर्तमान में कोई प्रथम अनुपालना बकाया नहीं है।

(2) **महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेद** :– वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि गत बैठक के समय 649 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 1968 अनुच्छेद बकाया थे। गत बैटक पश्चात 20 प्रतिवेदनों के 116 अनुच्छेद जोडे गये है, उक्त में 49 प्रतिवेदनों के 218 अनुच्छेद निरस्त हुऐ है। वर्तमान में 620 प्रतिवेदनों के 1866 अनुच्छेद बकाया है। महालेखाकार प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि 605 प्रतिवेदनों के 2213 अनुच्छेद बकाया है। उक्त अन्तर के संबंध में शासन सचिव महोदय ने महालेखाकार कार्यालय से मिलान करने एवं भविष्य में पूर्व में मिलान कर सूचना शामिल करने के निर्देश प्रदान किऐ। वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि मुख्य अभियन्ता गुण नियंत्रण जयपुर, मुख्य अभियन्ता SWRPD जयपुर, मुख्य अभियन्ता आई.डी.एण्ड आर. जयपुर द्वारा अनुच्छेद निरस्त नहीं करवाऐ है। इनकी प्रगति शून्य है। शासन सचिव महोदय ने इन सभी अधिकारियों को अनुपालना भिजवाने एवं 15 दिवस पश्चात उनके कक्ष में बैठक आयोजित करने के निर्देश प्रदान किऐ।

(3) **महालेखाकार के बकाया तथ्यात्मक विवरण** :– वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया है कि गत बैठक पश्चात 01 तथ्यात्मक विवरण प्राप्त हुआ था, जिसकी पालना महालेखाकार राजस्थान को प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में कोई तथ्यात्मक विवरण बकाया नहीं है।

Scanned with CamScanner

(4) **महालेखाकार के बकाया ड्राफ्ट पैरा** :— वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि गत बैठक के पश्चात 01 ड्राफ्ट पैरा प्राप्त हुआ था, जिसकी पालना महालेखाकार राजस्थान को प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में कोई ड्राफ्ट पैरा बकाया नहीं है।

(5) **सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2016—17** :— वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2016—17 के 02 अनुच्छेद बकाया है। जिनकी संवीक्षा टिप्पणी महालेखाकार से प्राप्त हुई है। जिसकी पालना संभाग कार्यालयों से प्राप्त कर अनुपालना 15 दिवस में भिजवा दी जावेगी।

(6) **सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2016—17 विनियोग लेखे** :— वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2016—17 के विनियोग लेखों के संबंध में महालेखाकार से संवीक्षा टिप्पणी प्राप्त हुई है। संवीक्षा टिप्पणी अनुसार पालना तैयार कर ली गई है, दिनांक 01.02.2019 को शासन सचिव महोदय को प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(7) **जन लेखा समिति की बकाया सिफारिशें** :— वित्तीय सलाहाकार ने अवगत कराया कि गत बैठक के समय 04 प्रतिवेदन की 26 सिफारिशें बकाया थी, गत बैठक पश्चात 03 प्रतिवेदनों की 11 सिफारिशे प्राप्त हुई है, जिसमें से 01 प्रतिवेदन की 04 सिफारिशों की पालना भिजवा दी गई है। 06 प्रतिवेदनों की 33 सिफारिशें बकाया है। महालेखाकार प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उक्त में 3.50 करोड के वसूली/अनियमितताओं के प्रकरण है जिसमें से 24.00 लाख की वसूली हो चुकी है। शासन सचिव महोदय ने निर्देश दिए कि वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त शासन सचिव अगले 07 दिवस में बैठक कर सभी प्रकरणों की समीक्षा कर उन्हे अवगत करवायेगे।

(8) **बकाया गबन प्रकरण**:— वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि 02 गबन प्रकरण बकाया है, 01 गबन प्रकरण हनुमानगढ का है प्रकरण में आरोपित श्री हरीश भंभाणी का निधन हो चुका है। अतः प्रकरण में गबन राशि का अपलेखन होना है तथा दूसरा प्रकरण संभाग कोटा से संबंधित है जो कि ए.सी.बी में विचाराधीन है प्रकरण में चालान पेश हो चुका है। शासन सचिव महोदय ने निर्देश दिये कि प्रकरण में आरोप पत्र दाखित हुआ था या नहीं इसकी सूचना प्राप्त कर अवगत करावे।

(9) **चोरी—हानि के प्रकरण** :— चोरी हानि का 01 प्रकरण लम्बित है। जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

(10) **बकाया ओ.बी.आईटम एवं ऑडिट नोट्स** :— वित्तीय सलहाकार ने अवगत कराया कि गत बैठक के समय 373 ओ.बी.आईटम एवं 1069 ऑडिट नोट्स बकाया थे। गत मीटिंग पश्चात 26 ओ.बी आईटम व 85 ऑडिट नोटस प्राप्त हुऐ, इनमें से 38 ओ.बी. आईटम व 175 ऑडिट नोटस का निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में 361 ओ.बी आईटम व 979 ऑडिट नोटस बकाया है। सचिव महोदय ने इनके शीघ्र निस्तारण करवाने हेतु निर्देश प्रदान किऐ।

(11) **आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के विशेष जॉच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेद** :— वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि निदेशक निरीक्षण विभाग के आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के विशेष जॉच के 13 प्रतिवेदनों के 26 अनुच्छेद बकाया हैं। जिसमें से 15 प्रकरण एक्साइज ड्यूटी से संबंधित है। शासन सचिव महोदय ने निर्देश दिऐ कि उक्त प्रकरणों के संबंध में अलग से 15 दिवस में पत्रावली प्रस्तुत करावे।

(12) **निदेशक निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदन** :—वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि निदेशक निरीक्षण विभाग के 04 प्रतिवेदनों के 22 अनुच्छेद बकाया है, जिसमें विशेष जांच सवाईमाधोपुर के अनियमित नियुक्ति के 12 अनुच्छेद बकाया है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग जयपुर ने अवगत कराया कि इनकी अनुपालना निदेशक निरीक्षण विभाग की अभ्युक्ति के अनुसार तैयार कर मुख्य अभियन्ता कार्यालय को भिजवाई है। प्रकरण की समीक्षा कर अनुपालना निदेशक निरीक्षण विभाग को भिजवाने हेतु निर्देश प्रदान किऐ। शासन सचिव महोदय ने निर्देश दिऐ कि उक्त प्रकरणों के संबंध में अलग से 15 दिवस में पत्रावली प्रस्तुत करावे।

(13) **निदेशक निरीक्षण विभाग के आंतरिक जांच प्रतिवेदन के अनुच्छेद** :— वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि निदेशक निरीक्षण विभाग के 66 आंतरिक जांच प्रतिवेदनों के 347 अनुच्छेद बकाया थे, बैठक पश्चात 02 प्रतिवेदनों के 21 अनुच्छेद नये जोडे गऐ है। जिसमें से 05 अनुच्छेद निरस्त हुऐ है, वर्तमान में 68 प्रतिवेदनो के 365 अनुच्छेद बकाया है उक्त में प्रगति की गति धीमी रही है। जिसके प्रगति लाने हेतु निदेशक निरीक्षण विभाग से कैम्प आयोजित करने हेतु कहा गया, निदेशक निरीक्षण विभाग के प्रतिनिध ने अवगत कराया कि आप द्वारा कैम्प हेतु प्रोग्राम बनाकर भिजवाने पर प्रोग्राम की दिनांक निश्चित कर अवगत करा दिया जावेगा।

Scanned with CamScanner

(14) **निदेशक निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन के अनुच्छेद** :— वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि निदेशक निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन के बकाया 116 प्रतिवेदनों के 335 अनुच्छेद बकाया थे, बैठक पश्चात 03 प्रतिवेदन एवं 06 अनुच्छेद निरस्त हुऐ है। वर्तमान में 113 प्रतिवेदनों के 329 अनुच्छेद बकाया है। गत बैठक के समय दिऐ गऐ निर्देशों के अनुसार कमी, आधिक्य, अनुपयोगी, सरप्लस सामग्री क्रमशः 9.89 लाख, 28.85 लाख, 40.04 लाख, 33.32 लाख का निस्तारण हो चुका है, परन्तु इनसे संबंधित अनुच्छेदों की पालना निदेशक निरीक्षण विभाग को नहीं भिजवाई है। अतः शासन सचिव महोदय ने इनसे संबंधित अनुच्छेदों की अनुपालना निदेशक निरीक्षण विभाग को भिजवाने हेतु निर्देश प्रदान किऐ।

(विमल कुमार गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : एफ.9 / ऑडिट कमेटी / एफ.ए. / 2016 / पार्ट–I / 2777-2784 दिनांक : 04-02-17

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) राज. जयपुर।
2. निजि सचिव वास्ते शासन सचिव,जल संसाधन राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग राजस्थान जयुपर।
5. निजि सचिव मुख्य अभियन्ता जल संसाधन जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता जल संसाधन गुण नियंत्रण एवं सर्तकता जयपुर / संभाग (उत्तर) हनुमानगढ / कोटा / नर्मदा नहर परियोजना सॉचौर / एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग जयपुर / जोधपुर / उदयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, जल संसाधन संभाग जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / हनुमानगढ।

(विमल कुमार गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

Scanned with CamScanner